

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/भण्डार/2023/178

रीवा, दिनांक : 24-02-2023

प्रति,

प्रबंधक

1. संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम मर्यादित, कार्यालय जिला पंचायत, रीवा (म.प्र.)
2. म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड शाखा कार्यालय, चन्द्रलोक होटल के नीचे, रीवा (म.प्र.)
3. म.प्र. राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित शाखा कार्यालय-कोठी कम्पाउण्ड, रीवा (म.प्र.)

विषय - चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (पुरुष व महिला) के लिए वर्दी हेतु कपड़े की दर उपलब्ध कराने के संबंध में।


विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी पुरुष एवं महिला कर्मचारियों को पात्रतानुसार वर्दी प्रदाय की जानी है जिसके लिए निम्नांकित विवरण अनुसार दरें उपलब्ध कराना चाहें -

| क्रमांक | कपड़े का विवरण                            | दर                     |
|---------|---|------------------------|
| 1       | सफेद कपड़ा (टेरी काट) अर्ज 54"            | रुपये ..... प्रति मीटर |
| 2       | खाखी कपड़ा (टेरी काट) अर्ज 54"            | रुपये ..... प्रति मीटर |
| 3       | ऊनी ब्लेजर माडेला (नीला) सुपी अर्ज 54"    | रुपये ..... प्रति मीटर |
| 4       | काटन साड़ी (5.5 मीटर)                     | रुपये ..... प्रति नग   |
| 5       | ब्लाउज पीस (01 मीटर)                      | रुपये ..... प्रति मीटर |
| 6       | ऊनी शाल                                   | रुपये ..... प्रति नग   |
| 7       | लट्ठा (सुपी) 58" (कार्यालय के उपयोग हेतु) | रुपये ..... प्रति मीटर |
| 8       | कम्बल 'ए' क्वालिटी 60"×90"                | रुपये ..... प्रति नग   |

नोट - म.प्र. भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) की कंडिका 6 के परिशिष्ट 'अ' में वर्णित वस्त्र प्रतिष्ठानों द्वारा उक्त वस्त्रों की दरें उपलब्ध करायी जा सकती है।

उक्त समस्त प्रकार के कपड़ों की दरें (दर सूची संलग्न कर) नमूना सहित लिफाफा (चपड़ा से सील्ड) पंजीकृत डाक से दिनांक 07-03-2023 को कार्यालयीन समय तक आमंत्रित की जाती है। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त दरों पर विचार नहीं किया जावेगा। लिफाफे के ऊपर "चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु कपड़ों की दर" अनिवार्यतः अंकित किया जाय। दरों के साथ सभी प्रकार के कपड़ों के नमूने अनिवार्यतः उपलब्ध करायें। कपड़ों के नमूने ऐसे संलग्न करें जिससे निर्माता मिल का नाम अंकित हो। नमूने के अभाव में दरों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आदेशानुसार,

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. संबंधित फर्म।
2. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
3. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
4. प्रशासन विभाग को इस आशय के साथ सूचना प्रेषित है कि वांछित लिफाफे निर्धारित समयावधि तक ही प्राप्त किये जायें।
5. वित्त नियंत्रक, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
6. स्थानीय निधि संपरीक्षा, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।